रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218771 CG-DL-E-18032020-218771

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1019] No. 1019] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 18 मार्च. 2020

का.आ. 1127(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) में "पांच सौ पैंतालीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "सात सौ पच्चीस दिन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 25/03/2010-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या का.आ. 2537(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

1504 GI/2020 (1)

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2020

- **S.O. 1127(E)**.—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—
  - 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in clause (d) of sub-rule (3) of rule 5, for the words, "five hundred and forty five days", the words, "seven hundred and twenty five days" shall be substituted.

[F. No. 25/03/2010-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

**Note**: The principal rules were published *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and was last amended *vide* notification number S.O. 2537(E), dated the 8th August, 2017.